पत्रांक– 2540 /–श0वि0नि0 / उ0न0नि0–2005 / 2015

प्रेषक,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

समस्त, नगर आयुक्त,
नगर निगम, उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांक 05 मार्च, 2016

विषयः– **उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली), नियमावली, 2015 के प्रेषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के अधिसूचना संख्या–285 / IV(2)–श0वि0–2016–19 (सा0)10 दिनांक 16,फरवरी, 2016 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली), नियमावली, 2005 का प्रख्यापन्न किया गया है।

अतः शासन के अधिसूचना संख्या–285 / IV(2)–श0वि0–2016–19 (सा0)10 दिनांक 16, फरवरी, 2016 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त नियमावली का अनुपालन सुनिशिचित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुभाष गुप्ता)
उप निदेशक,
कृते निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–285 / IV (2) –श0वि0–2016–19 (सा0)10 दिनांक 16,फरवरी, 2016 के अनुपालन में।

2– श्री चन्द्र प्रकाश रावत, एम0आई0एस0 विशेषज्ञ, राजीव आवास योजना सूडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(सुभाष गुप्ता)
उप निदेशक,
कृते निदेशक।

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–2
संख्याः 285 / IV(2)- श0वि0–2016-19(सा0)10
देहरादून : दिनांक 16 फरवरी, 2016

अधिसूचना (3006)

चूँकि, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 02 सन् 1959) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 192 और 219, धारा 540 की उपधारा (1) और धारा 550 के साथ–साथ धारा 227 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय से सम्बन्धित पूर्ववर्ती सभी नियमों को अवक्रमित करते हुए उपर्युक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार आपत्तियॉ और सुझावो को आमंत्रित करने के लिए उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली 2015 का प्रकाशन सरकारी अधिसूचना स0– 439/IV(2)- श0वि0–2015-19(सा0)10 दिनांक 18.04.2015 में प्रकाशित किया गया था ;

और चूँकि उक्त अधिसूचना में उल्लिखित नियत समय के भीतर प्राप्त आपत्ति या सुझावों को यथाप्रक्रिया निस्तारित कर दिया गया है ;

अतएव, अब, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 206 की उपधारा (1) व धारा 540 की उपधारा (1)(2)(3) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र के भीतर विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर निर्धारण और वसूली को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली, 2015 है।

(2) इसका विस्तार राज्य के समस्त नगर निगम क्षेत्र में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) **"अधिनियम"** से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) अभिप्रेत है;

(ख) **"विज्ञापनकर्ता"** से ऐसा व्यक्ति/विज्ञापन एजेन्सी अभिप्रेत है, जिसे इस नियमावली के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पटट् परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो;

(ग) **"विज्ञापन प्रतीक"** से विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या

वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना अभिप्रेत है, जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टान्त अनुप्रयुज्य हों और वाह्य रूप से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना से सलंग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन, बोर्ड या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या संप्रदर्शित हो;

(घ) **"विज्ञापन पट"** से धातु आदि से बनी ऐसी संरचना अभिप्रेत है जिसमें विज्ञापन को प्रदर्शित किया जा सके। विज्ञापन पट्ट की संरचना दो पोल से अधिक की नहीं होगी, यथासम्भव यूनिपोल को प्राथमिकता दी जायेगी;

(ङ) **"विज्ञापन"** से विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन करना अभिप्रेत है;

(च) **"गुब्बारा"** से गैस से भरे हुए ऐसा कोई गुब्बारा अभिप्रेत है, जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपडे आदि के किसी करहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो;

(छ) **"झण्डी"** से ऐसी किसी नम्य वस्तु अभिप्रेत है, जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्षित किये जा सकते है;

(ज) **"झण्डी प्रतीक"** से ऐसा प्रतीक अभिप्रेत है, जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी झण्डी का उपयोग कर रहा हो;

(झ) **"निगम"** से उत्तराखण्ड का कोई नगर निगम अभिप्रेत है;

(ञ) **"विद्युतीय प्रतीक"** से ऐसा विज्ञापन प्रतीक अभिप्रेत है, जिसमें विद्युतीय साज सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं;

(ट) **"भू–प्रतीक"** से ऐसा विज्ञापन प्रतीक अभिप्रेत है, जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो;

(ठ) **"प्रदीप्त प्रतीक"** से ऐसा विज्ञापन प्रतीक अभिप्रेत है, जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो;

(ड) **"प्रक्षेपित प्रतीक"** से ऐसा कोई विज्ञापन प्रतीक अभिप्रेत है, जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो;

(ढ) **"मार्ग अधिकार"** से सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई अभिप्रेत है;

(ण) **"प्रतीक संरचना"** से कोई ऐसी संरचना अभिप्रेत है, जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो;

(त) **"कर"** से अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट विज्ञापन कर अभिप्रेत है;

(थ) **"अस्थायी प्रतीक"** से अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वांछित किसी विज्ञापन झण्डा या वस्तु कैनवस, कपडे, या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामाग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति अभिप्रेत है;

(द) **"युनीक कोड संख्या"** से तात्पर्य नगर निगम द्वारा प्रत्येक होर्डिंग स्थल हेतु आवंटित अंक से होगा, जो होर्डिंग/यूनिपोल पर प्रदर्शित किया जाएगा;

(ध) **"अपीलीय अधिकारी"** से सम्बन्धित जिले का जिलाधिकारी अभिप्रेत है;

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम मे उनके लिए समनुदेशित हों।

स्थल चयन के लिए समिति का गठन

3. (1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सार्वजनिक मार्गों के किनारे अवस्थित ऐसे उचित स्थलों को चयनित किया जायेगा जो सुरक्षा एवं सुगम यातायात की दृष्टि से विज्ञापन पट्ट लगाये जाने के लिये उपयुक्त हो, ऐसे चिन्हित स्थलों को नक्शे पर अंकित किया जायेगा। इन चयनित स्थलों पर नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उच्चतम प्राप्त प्रीमियम, जिसमें विज्ञापन कर भी समाहित होगा, के आधार पर विज्ञापन पट्ट लगाये जाने की अनुज्ञा दी जायेगी।

(2) समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा–

(क)	नगर आयुक्त	–अध्यक्ष
(ख)	नगर में यातायात का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी (यातायात पुलिस विभाग)	–सदस्य
(ग)	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	–सदस्य
(घ)	अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, नगर निगम	–सदस्य
(ङ)	जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि (जो उप जिलाधिकारी के पदानुक्रम से निम्न स्तर का न हो)	–सदस्य
(च)	विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्रतिनिधि	–सदस्य
(छ)	अपर नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त	–सदस्य सचिव

टिप्पणी– नगर आयुक्त किसी विशेषज्ञ या विभागीय अधिकारी को आवश्यकतानुसार बैठक में आमंत्रित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

(3) नियम 3 के उप नियम (2) के अधीन गठित समिति द्वारा अभिज्ञानित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा नीलामी प्रक्रिया से [illegible] सहित विज्ञापन कर हेतु निविदा आमंत्रित की जायेगी। निविदा की कार्यवाही उत्तराखण्ड राज्य अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अधीन पूर्ण प्रतिस्पर्धा के आधार पर की जायेगी।

(4) नगर आयुक्त द्वारा प्रत्येक अभिज्ञानित स्थल की न्यूनतम निर्धारित प्रीमियम दर मय विज्ञापन कर निविदा प्रकाशन में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जायेगी।

व्यवसायिक व निजी प्रतिष्ठानों पर विज्ञापन प्रकाशन

4. (1) निगम की सीमाओं के भीतर निजी व व्यवसायिक प्रतिष्ठान का स्वामी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु निर्धारित साईज का विज्ञापन बिना किसी पूर्वानुमति के प्रदर्शित कर सकेगा;

परन्तु यह कि यदि निजी व्यवसाय के विज्ञापन के साथ–साथ या स्वतंत्र रूप से किसी वस्तु के विषय, गुण आदि के संबंध मे व्यवसायिक विज्ञापन का प्रदर्शन किया जाता है तो ऐसे विज्ञापनों के निर्धारित कर को अदा करना बाध्यता होगी।

(2) नियम 3 की उप धारा (2) मे उल्लेखित समिति द्वारा प्रत्येक मार्ग के लिए विज्ञापन पट के आकार, रंग एवं "प्रदीप्त प्रतीक" का एक निश्चित मानक निर्धारित किया जायेगा। किसी भी दशा में निर्धारित मानको से इतर विज्ञापन का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा। ऐसे विज्ञापन पट्ट की ऊंचाई 1.0 मी0 से अनधिक होगी।

(3) ऐसे विज्ञापन हेतु विज्ञापन कर की वसूली का कार्य निविदा के माध्यम से ठेके पर अथवा नगर निगम द्वारा स्वयं किया जा सकेगा। यदि विज्ञापन कर की वसूली का कार्य नीलामी प्रक्रिया द्वारा ठेके पर दिया जाता है तो निगम इस हेतु सम्पूर्ण शहर अथवा उसके किसी एक भाग अथवा भागों हेतु नीलामी की कार्यवाही कर सकेगा।

प्रतिषेध

5. (1) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति/विज्ञापन एजेन्सी, निगम की सीमा के भीतर किसी पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे सलंग्न भूमि या वृक्ष रक्षक, नगर प्राचीर, नगर द्वार, विद्युत, या टेलीफोन के खम्भे, सार्वजनिक शौचालय, बस शेल्टर, सूचना क्योस्क, चल वाहनों पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने के आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा या प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा न चिपकाएगा, न लगाएगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकाएगा।

(2) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किए बिना निगम की सीमाओं के भीतर किसी दुकान या व्यवसायिक प्रतिष्ठान का स्वामी या अन्यथा अधिभोग

(9)

करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे दुकान या व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु सम्प्रर्दशित किये जाने वाले ग्लोसाईन/साईन बोर्ड, जो दुकानों के नाम के साथ या स्वतन्त्र रुप से किसी वस्तु के विषय, गुण आदि के बारे मे उल्लेख हो, जन साधारण को विज्ञापन की भांति आकर्षित करता हो, न तो परिनिर्मित करेगा, या प्रदर्शित करेगा, न समप्रदर्शित करेगा न चिपकाएगा, न लगाएगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकाएगा।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो ।

(4) निजी/सार्वजनिक भवनों की दीवारों, भवन परिसर के अन्दर एवं भंवनों की बाउण्ड्री वॉल पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

निविदा प्रक्रिया 6. (1) सार्वजनिक मार्गों के किनारे स्थित चयनित स्थलों की नीलामी के निविदा प्रपत्र निगम कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे। यह निगम की वेबसाइट से भी डाउनलोड किये जा सकेंगे। प्रत्येक अभिज्ञानित स्थल के लिये पृथक आवेदन किया जायेगा और ऐसे प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ स्थल की प्रस्तावित की गई प्रीमियम सहित विज्ञापन कर धनराशि संलग्न की जानी अनिवार्य होगी।

(2) विज्ञापनकर्ता द्वारा प्रस्तावित प्रीमियम की 10 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ जमा करनी अनिवार्य होगी।

(3) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रीगार्ड को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्रीगार्डो पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित करता है तो वह इस नियम के अधीन कर भुगतान करने का दायी होगा।

अनुज्ञा शर्तें 7. (1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जाएगी कि–

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी, जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु विज्ञापन कर या प्रीमियम सहित विज्ञापन कर, इस नियमावली के अनुसार संदत्त और जमा किया गया हो;

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगो और आकारों में लिखा जाएगा, चिपकाया जाएगा, समुद्भृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा, जैसा कि समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। भूतल से विज्ञापन पट्ट, की ऊंचाई 06 मीटर से अधिक नहीं होगी। किन्हीं 02 विज्ञापन पट्ट/यूनिपोल के मध्य की दूरी 20 फिट से कम नहीं होगी;

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशाओं में रखा एवं अनुरक्षित किया जाएगा;

(घ) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे;

(ङ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगें, प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे;

(च) विज्ञापन कर्ता इस नियमावली में उल्लिखित नियमों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन करेगा;

(छ) विज्ञापनों से अवस्थापन का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए;

(ज) सम्बन्धित प्रतिष्ठान से सम्बन्धित सूचना से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष आने की अनुज्ञा नहीं होगी;

(झ) विज्ञापनों का अनुरक्षण और निरीक्षण नियम 34 के अनुसार होंगे;

(ठ) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड पौधों में गाड़ा, बांधा नही जाएगा;

(2) **अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, यदि–**

(क) निर्धारित अनुज्ञा शर्तों का किसी भी रूप मे उल्लंघन किया जाता है,

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स, या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनष्टिकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पडने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या मदोन्मत्ता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो;

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरूद्ध हो;

प्रीमियम **8.** (1) नगर आयुक्त प्रत्येक मार्ग के चयनित स्थल के लिए विगत वर्ष के मूल्य एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के आधार पर न्यूनतम प्रीमियम नियत करेगा, जिसमें विज्ञापन कर भी समाहित होगा।

(2) सार्वजनिक मार्गों के किनारे स्थित सभी चयनित स्थलों के प्रीमियम मय विज्ञापन कर की नीलामी उत्तराखण्ड राज्य अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार की जाएगी।

आवंटन समिति **9.** (1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक आंवटन समिति गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगेः–

(क) अपर नगर आयुक्त /उप नगर आयुक्त —सदस्य

(ख) अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता —सदस्य

(ग) वित्त सेवा का लेखाधिकारी —सदस्य

(घ) विज्ञापन और विज्ञापन पट्‌ट प्रभारी, अधिकारी जो कर अधीक्षक स्तर से निम्न न हो —सदस्य सचिव

(2) समिति इस नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार निविदाओं, प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी और तद्नुसार अनुमोदित करेगी।

(3) प्रीमियम मय विज्ञापन कर की 50 प्रतिशत धनराशि उच्चतम प्रस्तावक/उच्चतम निविदादाता को निविदा स्वीकृति के 03 दिन के भीतर तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि 06 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकृत हुई हो, की अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी। साथ ही धरोहर/प्रतिभूति राशि, यदि कोई हो, को जब्त कर दी जायेगी।

(4) नगर आयुक्त अथवा अपर नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी सम्यक् रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) विस्तृत सूचना, अनुदेश ओर निबंधन एवं शर्तें अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जाएंगी।

(6) विज्ञापन या विज्ञापन पट्‌ट के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा उत्तराखण्ड राज्य अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में विहित रीति से की जाएगी।

(7) दुकान/प्रतिष्ठान के नाम पट्‌टों के साथ किए जाने वाले विज्ञापनों से विज्ञापन कर की वसूली के ठेके की नीलामी उत्तराखण्ड राज्य अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार की जाएगी। यदि नगर निगम द्वारा ऐसे विज्ञापनों से विज्ञापन कर की वसूली स्वयं की जाती है तो नियम 10 में निर्धारित दर से विज्ञापन कर वसूल किया जाएगा।

विज्ञापन कर की दरें

10. विज्ञापन कर की प्रतिवर्ग मी0 दर प्रस्तर 3(2) में प्रस्तावित चयन समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

अनुज्ञा अवधि

11. सार्वजनिक मार्गों के किनारे चिन्हित स्थलों हेतु अनुज्ञा दो वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी। दुकानों/प्रतिष्ठानों के नाम पट्‌टों के साथ किए जाने वाले विज्ञापन हेतु नीलामी प्रक्रिया द्वारा ठेके की अवधि अनधिक दो वर्ष के लिए दी जा सकेगी।

विज्ञापन या विज्ञापन पट्‌ट हटाने की शक्ति

12. (1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्‌ट इस नियमावली के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या

वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो नगर आयुक्त विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटा सकता है और जमा प्रतिभूति अथवा वसूली से निम्नलिखित धनराशियों की प्राप्ति कर सकता है:–

(क) ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय; और

(ख) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, चित्रित किया गया था, या लटकाया गया था के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जाएगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग को सतह/पगडण्डी/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा संबधित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिए।

विज्ञापन पर निर्बन्धन

13. **(1)** किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नही किया जायेगा, प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, संप्रदर्शित नहीं किया जाएगा, लगाया नही जाएगा, चिपकाया नही जाएगा, लिखा नही जाएगा, चित्रित नही किया जाएगा, या लटकाया नही जाएगा; यदि–

(क) यह आकार में 6.0 मी0 x 3.0 मी0 से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 2.5 मी0 से कम हो;

(ख) इसकी दूरी चौराहों व मोड़ों से 25 मी0 से कम हो;

(ग) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे वानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

(घ) यह मार्ग के आर–पार एवं मार्ग पटरी/पगडंडी पर रखा गया हो;

(ङ) यह स्टील के ढांचे पर न हो;

(च) यह दो पोल से अधिक की संरचना का हो;

(छ) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारो और अवस्थित हो;

(ज) स्थल, निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पडता हो;

(झ) यह किसी अन्य होर्डिंग/यूनिपोल से 20 फिट से कम दूरी पर हो;

(ञ) यदि विज्ञापन पट्ट/यूनिपोल पर निगम द्वारा दी गई यूनिकोड संख्या प्रदर्शित न हो तथा जिसे नग्न नेत्रों से देखा व पढा जा सके;

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी–

(क) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुंचने, संविलीन होने या प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो;

(ख) ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो;

(ग) किसी मार्ग के पार लटकाए गये पट्टों, भिति पत्रकों, वस्त्र–झण्डियों या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और या इसलिए परिसंकटमय हो;

(घ) ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहों पर उनकी दृश्यता बाधित हो;

(ङ) जब इनसे स्थानीय सुविधाएं प्रभावित हों;

(3) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुमति नहीं होगी–

(क) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिनमें जनसेवा सूचना यथा समय, ताप मौसम या दिनांक इंगित करने वाले प्रकाश को छोडकर कोई चौंधने वाले आतंरायिक व गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट है, सम्मिलित है या जो उनके द्वारा प्रदीप्त है;

(ख) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पडता हो;

(ग) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हों, जिससे कि किसी शासकीय यातायात पट्ट, युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो;

(4) ऐसे विज्ञापन /विज्ञापन पट्टों की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जो उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण नियमावली, 2009 में विहित प्राविधानों का उल्लंघन करते हों।

छत के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के सम्बन्ध में निर्बन्धन

14. निजी/सार्वजनिक भवनों की छतों पर विज्ञापन पट्ट पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे।

विज्ञापन पट्टों के प्रकार

वैद्युत विज्ञापन 15. (1) वैद्युत विज्ञापन की सामग्री जहां विज्ञापन पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोडकर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन पट्ट अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

(2) **वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापन**– प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को भाग–8 भवन सेवायें, धारा 2, विद्युत एवं सामग्री स्थापन, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के अनुसार स्थापित किया जाएगा।

(3) लाल, तृणमणि, जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की परिधि में परिनिर्मित या अनुरक्षित नही किया जाएगा।

(4) दो मंजिल से कम की ऊंचाई पर या मार्ग से 06 मीटर ऊपर, जो भी अधिक हो स्थित सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट्ट समुचित रूप से अवलम्बित किये जाएंगे, जिससे कि यातायात के नियंत्रण के लिए किसी विज्ञापन पट्ट या संकेतक के साथ होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को संतोषजनक रूप में रोका जा सके।

(5) **गहन प्रदीप्ति**– कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नही करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्ति का हो जिससे कि संलग्न या समीपवर्ती आवासीय भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुए भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्ति का हो जिससे कि सलंग्न या निकट के भवनों के अध्यासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर संबंधित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करे के भीतर समुचित रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जायेगा।

(6) **परिचालन अवधि**– लोकसौहार्द, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में नगर आयुक्त की राय में आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचालित नही किया जाएगा।

(7) कोई चौंधाने वाला, ओझल करने वाला विज्ञापन पट्टिका, की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

भू–विज्ञापन 16. (1) **सामग्री– ढांचों** अवलम्बों, और पट्ट सहित प्रत्येक भू–विज्ञापन, अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

(2) **आयाम**– भूमि से ऊपर 06 मी0 से अधिक की उँचाई तक कोई भू– विज्ञापन परिनिर्मित नही किया जाएगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख भाग से ऊपर जा सकता है।

(3) **अवलम्ब और स्थिरक स्थान–** प्रत्येक भू–विज्ञापन को भूमि पर दृढतापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जाएगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित धातु के होंगे, और 02 पोल से अधिक नहीं होंगे।

(4) **स्थल सफाई–** किसी स्थल जिस पर कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी स्थल के ऐसे भाग जो मार्ग से दृश्य हो को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरूप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) **यातायात से आपत्ति–** ऐसा कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित नही किया जाएगा जिससे कि किसी भवन में मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो।

(6) **तल निर्बाधन–** समस्त भू–विज्ञापनों का तल आधार भूमि से कम से कम 2.5 मीटर ऊपर होगा।

विविध और अस्थायी विज्ञापन

17\. (1) **अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं, सचल सर्कस विज्ञापन पट्टिकाएं, मेला विज्ञापन पट्टिकाएं एंव सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट–** राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिाकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जाएगी–

(क) किसी सड़क के आर–पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।

(ख) विज्ञापन पट्टिका को एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकाने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका, जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।

(ग) ऐसी पट्टिकायें जिनकी सामग्री का पुर्नचक्रीकरण नहीं किया जा सके।

(घ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए आशायित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और अधिमानतः 600 मिलीमीटर 450 मिलीमीटर से अनधिक हों व किसी आवास की दीवार या प्रवेश दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी; और,

(ङ) पेडों, चट्टानों या पहाडियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञ पट्टिका।

(2) **अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता–**

(क) सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिका सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट नगर आयुक्त के अनुमोदन अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते अवरोध न पहुंचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुंचें।

(ख) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारबार, उद्देश्य या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबधित होगा जो उस परिसर

पर उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाय क्षतिग्रस्त हो जाये, यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात जब तक विस्तारित न किया जाय, 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।

(ग) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने का आदेश, यदि उसकी राय में ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा के हित में आवश्यक हो, देने के लिए सशक्त होगा।

पोल विज्ञापन पट्टिका 18. पोल विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होंगी तथा इसका आकार 2.5 फिट x 3.5 फिट से अधिक नहीं होगा।

सभी विज्ञापन पट्टों के लिए सामान्य आवश्यकताऐं

भार 19. (1) विज्ञापन पट्ट इस प्रकार निर्मित होगा कि वे भाग–6, संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड–1, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भार, बल और प्रभाव में दिये गये आंधी, भूकम्प और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सकें।

(2) कोई भी विज्ञापन पट्ट, जो विद्युत साधनों और विद्युत युक्तियों या वायरिंग से भिन्न हो, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग–8, भवन सेवाएं, खण्ड–2, विद्युत और सम्बद्व संस्थापन की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी।

विज्ञापन पट्ट के डिजाईन और स्थान 20. (1) किसी भी विज्ञापन पट्ट से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास या अग्नि शमन प्रायोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या द्वार में रूकावट नहीं आनी चाहिए ।

(2) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के रूप में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नहीं आनी चाहिए ।

(3) यदि सम्भव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिये। भू–दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका न लगायी जाये।

(4) अनावश्यक खम्भों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकाएं लाईटिंग फिक्सचर से युक्त होनी चाहिए।

(5) सूचना विज्ञापन पट्टिकाएं स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगायी जानी चाहिए और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

(6) जहां विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुंचे वहां विज्ञापन पट्टिकाओं को लगाये जाने से वर्जन किया जाना चाहिए।

(7) विज्ञापन पट्टिकाएं इस प्रकार लगानी चाहिए जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन सम्भव हो सके ।

(8) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नही लगायी जानी चाहिए।

(9) यूनियन रोड़ कांग्रेस द्वारा रोड़ साइन (आई0आर0सी0) 67–2001 मे निर्धारित कलरों/मानकों का प्रयोग ही विज्ञापन पट्टो के लिए अनुमन्य होगा। विज्ञापन पट्टों मे प्रयोग किये जाने वाले रंग एंव फौन्ट साइज ऑफिशियल ट्रैफिक साइन के समान एवं वाहन चालक को भ्रमित करने वाले नही होगे।

विज्ञापन पट्ट में दहनशील पदार्थों का प्रयोग वर्जित

21. विज्ञापन पट्ट अज्वलनशील पदार्थ से बना होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 05 सेन्टीमीटर से अन्यून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिए।

विज्ञापन पट्ट को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण

22. जब भी कोई विज्ञापन पट्ट हटाया जाय, चाहे यह कार्य मुख्य नगर अधिकारी की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्ट प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसान या विरूपण की क्षतिपूर्ति नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप से की जायेगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सडक की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुंचती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित किया जायेगा।

बस सायबानों पर विज्ञापन अभिकल्प

23. बस सायबानों के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर की लम्बाई को छोड़ते हुए नगर आयुक्त द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी, जिस पर नियमानुसार विज्ञापन कर देय होगा।

स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन

24. यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों के पहचान को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 1.5 X 0.9 मीटर से अनधिक आकार की पट्ठी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेन्ट करने की अनुज्ञा होगी । ऐसी पट्टियां, जिनके दोनों ओर विज्ञापन लिखे होंगे वहां विज्ञापन कर दुगने हो जाएंगे।

यातायात रोटरी और आइलैण्ड

25. यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी, यातायात प्रभारी) के परामर्श से नगर आयुक्त द्वारा यातायात रोटरी व आईलैण्डों के विकास व रख–रखाव हेतु विज्ञापन की अनुमति दी जा सकती है। संप्रदर्शन पट्ट का आकार यातायात रोटरी/आईलैण्ड के स्थान और आकार और यातायात की गति पर निर्भर करेगा,

किन्तु संप्रदर्शन की ऊंचाई रोटरी/आईलैण्ड की ऊंचाई से अधिक होने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड) **26.** नगर आयुक्त सार्वजनिक मार्गो के किनारे स्थित पौधों के चारों तरफ अनुमोदित वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रख–रखाव करने के साथ–साथ यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकते हैं। ऐसी विज्ञापन पट्टिकाओं का आकार 1फुट X 1फुट से अधिक नहीं होगा।

पुष्प पात्र स्टैण्ड **27.** नगर आयुक्त किसी व्यक्ति / प्रतिष्ठान आदि को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख–रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 x 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्ट दोनो ओर संप्रदर्शित किये जा सकते हैं :

परन्तु सडक सतह के ऊपर विज्ञापन पट्ट के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.0 मीटर से कम नहीं होना चाहिए :

परन्तु यह कि विज्ञापन पट्ट की चौडाई दोनों ओर के विभाजको की चौडाई से 0.2 मीटर कम होगी और पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) रखा जाएगा ।

छूट **28.** **(1)** इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्ट पर लागू नहीं होगी:–

(क) राज्य सरकार या नगर निकाय द्वारा पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप में प्रस्तवित योजनाओं, जिनमें विज्ञापन के अधिकार भी दिये जाने प्रस्तावित हों।

(ख) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो;

(ग) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाय;

(घ) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये;

(ङ) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, सिगनल्स, यातायात चेतावनी और संदेश किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पैट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर x 0.6 मीटर से अधिक न हो;

(च) यदि विज्ञापन पट्ट किसी दुकान/प्रतिष्ठान भवन की खिडकी के भीतर प्रदर्शित किये जायें, किन्तु उसमें भवन का प्रकाश वा संवातन प्रभावित न हो;

(छ) इसके अतिरिक्त नियम 4 के अर्न्तगत अकराधेय विज्ञापन पट्टों के लिये किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस नियमावली के अनुपालन में परिनिर्माण या रख–रखाव के उत्तरदायित्व से निर्मुक्त है;

भू–विज्ञापन पट्ट 29. नीचे सूचीबद्व भू–विज्ञापन पट्टों के लिए किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी :–

(1) **यात्रा मार्ग निर्देश**– किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट का परिनिर्माण या रख रखाव, जो यात्रा मार्ग लाईन के स्थान, किसी रेलमार्ग, स्टेशन व अन्य सार्वजनिक वाहक को निर्दिष्ट करते हों जब वे क्षेत्रफल में 0.5 मीटर से अधिक न हों।

(2) **राजमार्ग विज्ञापन पट्ट**– सामान्यतः निम्नलिखित वर्गों के विज्ञापन बिना अनुज्ञा के अनुज्ञेय है:–

(क) **आधारभूत विज्ञापन**–

(एक) अपने शासकीय या निर्देशित कर्त्तव्यों के निष्पादन के किसी लोक या न्यायालयों अधिकारों के निर्देश के द्वारा या अधीन लगाये गये या संप्रदर्शित किये गये शासकीय चेतावनी, संकेत, यातायात निर्देश, विज्ञापन स्तम्भ और नोटिसें या विज्ञापन।

उदाहरण : [आगे मार्ग विभाजक]

(दो) सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की और दिशा संकेत यथा–पेट्रोल भरने के स्टेशन, चिकित्सालय, प्राथमिक उपचार केन्द्र, पुलिस स्टेशन और दमकल केन्द्र।

उदाहरण : [चिकित्सालय] [बस स्टेशन]

(तीन) मुख्यतः किसी शहर, नगर, ग्राम या ऐतिहासिक स्थान, समाधि, पर्यटक रूचि स्थल।

उदाहरण : [एफ0आर0आई0] [मसूरी]

(चार) सशस्त्र सेना के सदस्यों या जनता की सूचना के लिये रक्षा विभाग द्वारा परिनिर्मित विज्ञापन–पट्ट या सूचना–पट्ट आदि।

उदाहरण : [आई0एम0ए0]

(पाँच) क्षेत्रफल में 0.2 वर्गमीटर तक सीमित या उससे कम की सम्पत्ति के अतिचार का प्रतिबंधित करने से सम्बन्धी विज्ञापन पट्ट।

उदाहरण : [निजी सम्पत्ति] [अतिचारी को अभियोजित किया जायेगा]

(छः) 0.2 वर्गमीटर या उससे कम क्षेत्रफल के विज्ञापन पट्ट या सूचना पट्ट जो इस प्रकार लगाये गये हों कि वे किसी आवास की दिशा

को प्रदर्शित करते हों और वे वाहन मार्ग से समुचित दूरी पर लगाये गये हों।

(ख) ऐसे परिसरों संबंधित विज्ञापन जिस पर उन्हें संप्रदर्शित किया जाय–

(एक) ऐसी भूमि या भवन, जिस पर विज्ञापन पट्ट संप्रदर्शित किया जाय, के संबंध में पहचान, निर्देश या चेतावनी के परियोजन के लिए विज्ञापन, किन्तु किसी ऐसे विज्ञापन की दशा में क्षेत्रफल में 0.2 वर्गमीटर से अधिक न हो।

उदाहरण : **कुत्तों से सावधान** | **मोहन की सम्पत्ति लाल एवं कम्पनी** | **ऊषा किरन**

(दो) किसी ऐसे व्यक्ति, भागीदारी या कम्पनी के संबंध में विज्ञापन, जो ऐसे परिसर पर किसी व्यवसाय, या व्यापार चला रहे हों, जहां ऐसे विज्ञापन संप्रदर्शित किये गये हैं, और वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति, भागीदारी या कम्पनी के संबंध में केवल एक विज्ञापन तक सीमित हों और क्षेत्रफल में 0.3 वर्गमीटर से अधिक न हों।

उदाहरण : **रामलाल एण्ड कम्पनी**

(तीन) किसी धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन सम्बन्धी, चिकित्सीय या तत्सदृश प्रकृति की किसी संस्था से संबंधित या ऐसी भूमि, जिस पर ऐसा विज्ञापन पट्ट संप्रदर्शित किया गया हो, पर स्थित किसी होटल, सार्वजनिक, गृह, डाकबंगला, फ्लैट, ब्लाक, क्लब, छात्रावास या होटल से संबंधित विज्ञापन पट्ट जो ऐसे व्यक्ति, भागीदारी या कम्पनी के संबंध में क्षेत्रफल में 1.2 वर्गमीटर से अधिक न हों।

उदाहरण : **इंजीनियरिंग कॉलेज** | **अवकाश गृह** | **रोटरी क्लब इंजीनियरिंग कॉलेज**

(ग) अस्थाई प्रकृति के विज्ञापन–

(एक) ऐसी भूमि, जिस पर विज्ञापन पट्ट संप्रदर्शित किये गये हों, के विक्रय या किराये पर देने से संबंधित विज्ञापन, ऐसे प्रत्येक विक्रय या किराये पर देने के संबंध में वह केवल एक विज्ञापन तक सीमित, किन्तु यह क्षेत्रफल से 0.2 वर्गमीटर से अधिक न हो।

उदाहरण : **किराये पर देने हेतु** | **विक्रय हेतु घर**

(दो) सामान या पशुधन के विक्रय को घोषित करते हुए विज्ञापन और ऐसी भूमि पर संप्रदर्शित, जहां ऐसे सामान या पशुधन स्थित हो या जहां ऐसा विक्रय किया जाता हो, जो क्षेत्रफल में 1.2 वर्गमीटर से अनाधिक एक विज्ञापन तक सीमित हो।

उदाहरण : **पशु विक्रय** | **विक्रय इसी सप्ताह**

(17)

(तीन) ऐसी भूमि, पर जिस पर विज्ञापन संप्रदर्शित किये जाये, भवन संबंधया तत्सदृश कार्य किये जाने से संबंधित विज्ञापन, जो क्षेत्रफल में 0.2 वर्गमीटर से अधिक न हो।

उदाहरण : | सतर्क खुदाई प्रगति पर |

(चार) किसी धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक या मनोरंजन संबंधी प्रकृति के किसी स्थानीय घटना, जो ऐसा कार्यकलाप न हों, जिसे व्यवसायिक परियोजन के लिए प्रोन्नत किया या चलाया जा रहा हो, की घोषणा करता हुआ विज्ञापन, जो किसी परिसर पर 0.6 वर्गमीटर से अनधिक क्षेत्र अध्यासित करने वाले विज्ञापन पट्ट के प्रदर्शन तक सीमित हो।

उदाहरण : | दीवाली मेला | | पुष्प प्रदर्शनी |

अस्थाई विज्ञापन पट्ट

30. **(1)** **निर्माण स्थल संकेत** – निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के संबंध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जायें।

(2) **विशेष संप्रदर्शन संकेत**– अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धर्मार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर, कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो :

परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है

विशेष नियंत्रण का क्षेत्र

31. **(1)** जब नगर आयुक्त की राय में इस नियमावली में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुज्ञात विज्ञापन युक्ति से निगम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र की क्षति पहुंचने या उसके विरूपित होने की सम्भावना हो, तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। पार्कों और भूमि को भी विशेष नियंत्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्र के भीतर कि विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से सीमित किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाये। नगर आयुक्त निगम अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में, क्षेत्र की घोषणा करने के संबंध में अपने आशय से प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भी सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र की घोषणा विरूद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त को अपील कर सकता है, जिस विनिश्चय निर्णायक होगा।

(3) विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमति, स्वामी या फर्म के नाम तक सीमित होगी, जो उस परिसर के अध्यासी हों।

भवन या संस्था का नाम, चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम जैसे कि "ज्वैलर्स", "कैफे", "डांसिंग" या भवन प्रवेश की स्थिति के संबंध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के संबंध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है।

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से पच्चीस मीटर दूरी के भीतर, उप नियम (3) में दिये गये सिवाय सामान्यतयः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं होगा।

निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा

32. **(1)** नियम 3 के अधीन गठित समिति द्वारा विज्ञापन पट्टो के स्थलों के चयन के साथ–साथ नगर के विभिन्न ऐसे मार्गो/स्थलों/क्षेत्रों को भी चिन्हित किया जायेगा जहां नियम 28 के अधीन प्रदत्त छूट वाले विज्ञापन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के विज्ञापन पूर्णतः निषिद्ध होंगे। ऐसे चिन्हित क्षेत्र नगर आयुक्त द्वारा निषिद्ध क्षेत्र घोषित किये जायेंगे।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापन पट्टों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाने, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिए निषिद्ध घोषित कर सकती है।

झण्डियों पर रोक

33. **(1)** कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, संप्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नहीं करेगा। झण्डी प्लास्टिक की नहीं होगी।

(2) उपनियम–1 के अन्तर्गत इस नियमावली के अधीन अनुज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित निषिद्ध क्षेत्र में प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) इस नियमावली के उपबंधों का उल्लघंन वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति के लिये उत्तरदायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाय और वह प्रति झण्डी रू. 500/– से कम नहीं होगी।

(4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को बिना नोटिस दिए हटा सकता है और उसे विनष्ट कर सकता है।

अनुरक्ष और निरीक्षण

34. **(1)** सभी विज्ञापन जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है, अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायें जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिए रंग–रोगन किया जायेगा। विज्ञापनों हेतु प्रयोग किए जाने वाली फ्लैक्स सामग्री का पुर्नचक्रीकरण के मानकों के अनुरूप होना आवश्यक होगा।

(2) प्रत्येक विज्ञापनकर्ता का यह कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा घेरे गए परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(7)

(3) प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिये अनुज्ञा जारी की गई हो का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

हटाए जाने की लागत **35.** नियम 12 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत उल्लंघनकर्ता से वसूली जायेगी।

अपराधों के लिए दण्ड और उनका प्रशमन **36.** (1) इस नियमावली के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लघंन ऐसे जुर्माने
से जो दस हजार रूपये तक हो सकता है और उल्लघंन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लघंन की दोषसिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिस दौरान ऐसा उल्लघंन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से, जो पॉच सौ रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा उपशमित किया जा सकता है।

अपीलीय अधिकारी **37.** इस नियमावली के प्राविधानों के प्रवर्तन एवं प्राधिकृत समितियों तथा प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय में संशय या विवाद होने की स्थिति में प्रभावित पक्ष द्वारा अपीलीय अधिकारी के यहां अपील की जा सकती है।

आज्ञा से,

(डी0एस0गर्ब्याल)
सचिव।

संख्याः /IV(2)-श0वि0–2016–19(सा0)2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को अपने असाधारण गजट के अग्रिम अंक में विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित कर गजट की 25–25 मुद्रित प्रतियां निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा शहरी विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस राणा)
उप सचिव।

e4 copy

संख्याः 285/IV(2)-श0वि0–2016–19(सा0)2010, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
2. सचिव, श्री राज्यपाल को श्री राज्यपाल महोदय के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
7. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना को ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें, जिनका प्रसार राज्य में व्यापक रूप से होता है।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त, नगर निगम, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(डी0एम0एस राणा)
उप सचिव।

DD/AO
to all Nagar Nigams to circulate
22/2/16 DD
26/02/2016 A.O.